(2003) 1 SCR 1195

कुलदीप चंद और एक अन्य

बनाम

हिमाचल प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता एवं अन्य

14 फरवरी, 2003

[एसबी सिन्हा एवं ए.आर. लक्ष्मणन, जे.जे.]

ट्रस्ट:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- धारा 92- मूल स्वामी द्वारा धर्मशाला को आम जनता को समर्पित करना- संपत्ति का लंबे समय तक धर्मशाला के रूप में उपयोग किया जाना- मूल स्वामी के उत्तराधिकारी द्वारा उसे बेचना- इस आधार पर मुकदमा कि संपत्ति एक ट्रस्ट संपत्ति है, जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जनता को समर्पित है- उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सार्वजनिक ट्रस्ट कभी नहीं बनाया गया था- हालांकि, खंडपीठ ने इसे रद्द कर दिया- की संधारणीयता- अभिनिर्धारित किया गया, आम तौर पर जनता ने 1963 से लंबे समय तक परिसर पर मुकदमे के संबंध में अपने अधिकार, यदि

कोई हो, का प्रयोग नहीं किया- केवल तथ्य यह है कि धर्मशाला का एक हिस्सा आम जनता द्वारा लंबे समय तक उपयोग किया जाता था, लेकिन इस तरह के परोपकारी कार्य को जारी रखने से ट्रस्ट का निर्माण नहीं होगा- ट्रस्ट का निर्माण इस तरह के मुकदमे पर विचार करने का निर्धारक कारक है, खंड पीठ का आदेश संधारणीय नहीं है।

वास्तविक मालिक ने एक धर्मशाला का निर्माण किया और इसे आम जनता को समर्पित किया। उनकी मृत्यु के बाद यह उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो गई। फिर वारिस 'जे' को संपत्ति विरासत में मिली और बाद में उसने इसे अपीलकर्ताओं को बेच दिया। इस संपत्ति का उपयोग लगभग 125 वर्षों तक लगातार धर्मशाला के रूप में किया जाता रहा। प्रतिवादी-राज्य सरकार ने धारा 92 सीपीसी के तहत इस आधार पर मुकदमा दायर किया कि संपत्ति एक ट्रस्ट संपत्ति थी और मूल मालिक द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जनता को समर्पित की गई थी। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए मुवाद को खारिज कर दिया कि इसे सार्वजनिक ट्रस्ट नहीं बनाया गया था और संपत्ति को मूल मालिक और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा अपनी संपत्ति माना गया था, न कि उसके ट्रस्टी के रूप में। प्रतिवादियों ने पत्र पेटेंट अपील दायर की। खंडपीठ ने आदेश को रद्द कर दिया, इसलिए वर्तमान अपील पेश की गई है।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करके गलती की; और सीपीसी की धारा 92 के तहत कोई मुकदमा केवल तभी कायम रखा जा सकेगा जब यह संदेह से परे साबित हो जाए कि ट्रस्ट एक सार्वजनिक ट्रस्ट है, और कुछ नहीं।

प्रतिवादी संख्या 1 ने तर्क दिया कि धर्मशाला के रूप में संपत्ति का उपयोगकर्ता विवादित नहीं था और न ही विवादित हो सकता है, इसने 125 वर्षों की अवधि तक उक्त संपत्ति का उपयोग किया है, इसे निजी संपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है और, इस प्रकार जनता के उपयोगकर्ता के लिए इसके पूर्ण समर्पण का अनुमान लगाया जाना चाहिए।अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया: 1.1 आम जनता के लाभ के लिए राज्य के शासक की ओर से किया गया परोपकारी कार्य धर्मार्थ उद्देश्य के लिए समर्पण के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। सार्वजनिक उद्देश्यों और आम जनता के लाभ के लिए कोई संपत्ति समर्पित करने में संस्थापक की ओर से स्वामित्व की पूर्ण समाप्ति और संपत्ति को धार्मिक वस्तु के लिए निहित करना शामिल होगा। औपचारिक और स्पष्ट बंदोबस्ती के अभाव में, समर्पण का स्वरूप संस्था के इतिहास और संस्थापक और उसके उत्तराधिकारियों के आचरण के आधार पर निर्धारित किया जाना पड़ सकता है। ऐसा समर्पण या तो पूर्ण या आंशिक हो सकता है। किसी समुदाय या समुदाय के एक हिस्से के पक्ष में सुखभोग का

अधिकार ऐसा समर्पण नहीं होगा जहां मालिक ने संपत्ति अपने पास रखी हो। ऐसा हो सकता है कि संपत्ति के मालिक का अधिकार उपयोगकर्ता के सार्वजनिक अधिकार से योग्य हो, लेकिन मौजूदा मामले में ऐसा अधिकार पूरी तरह से अप्रतिबंधित नहीं है। इस तथ्य के अलावा कि आम जनता और/या किसी विशेष समुदाय को संपत्ति के प्रबंधन में भागीदारी का कोई अधिकार नहीं था और न ही उसके रखरखाव के लिए कोई योगदान दिया गया था, यह बहुत महत्व का विषय है। [1206-डी-जी]

चाहे कोई धर्मस्व सार्वजनिक या निजी प्रकृति की हो, निम्नलिखित परीक्षण प्रत्येक मामले के तथ्यों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश हैं, अर्थात्: जहां धर्मस्व की उत्पत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां यह सवाल उठता है कि क्या जनता के सदस्यों को मंदिर का उपयोग करने का अधिकार है; तथ्य यह है कि नियंत्रण और प्रबंधन या तो व्यक्तियों के एक बड़े समूह या जनता के सदस्यों में निहित है और संस्थापक प्रबंधन पर कोई नियंत्रण नहीं रखता है, इससे संबद्ध एक ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां साक्ष्य से पता चलता है कि इसके लिए बड़े पैमाने पर जनता के सदस्यों को जोड़कर बनाई जाने वाली योजना प्रावधान है; हालाँकि, धर्मस्व की प्रकृति और उत्पत्ति को साबित करने के लिए एक दस्तावेज़ उपलब्ध है और दस्तावेज़ के विवरण से पता चलता है कि मंदिर का नियंत्रण और प्रबंधन संस्थापक या उसके वंशजों के पास रहता है और

मंदिर के रखरखाव के उद्देश्य से संस्थापक की व्यापक संपत्तियां समर्पित हैं, यह दिखाने के लिए एक निर्णायक प्रमाण होगा कि धर्मस्व निजी प्रकृति की थी; जहां सबूत दिखाते हैं कि धर्मस्व के संस्थापक ने जनता के सदस्यों द्वारा मंदिर में किए जाने वाले चढ़ावे या योगदान के लिए कोई शर्त नहीं लगाई थी, यह धर्मस्व की निजी प्रकृति को इंगित करने के लिए एक महत्वपूर्ण परिस्थिति होगी। [1209-एच; 1210-ए-ई]

श्री राधाकान्त देव और एक अन्य बनाम आयुक्त, उड़ीसा हिन्दू धार्मिक बंदोबस्ती [1981] 2 एस. सी. सी. 226, पर भरोसा किया गया।

उपरोक्त परीक्षण वर्तमान मामले में किया गए। यह सच है कि अपीलकर्ताओं ने अपने स्वामित्व विलेख प्रस्तुत नहीं किए, जिससे प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सके, लेकिन उसके मालिक द्वारा उनके पक्ष में वाद परिसर का हस्तांतरण स्वीकार किया गया है और वास्तव में उक्त लेनदेन मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण बना है। किसी भी स्थिति में, वादग्रस्त परिसर पर उनका कब्ज़ा ख़ारिज किया जाता है। इसके अलावा, यह समझ में नहीं आ रहा है कि आम तौर पर जनता ने लंबे समय तक और कम से कम 1963 के बाद से सूट परिसर के संबंध में अपने अधिकार, यदि कोई हो, का प्रयोग क्यों नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि धर्मशाला का एक हिस्सा लंबे समय तक आम जनता द्वारा उपयोग किया जाता था, लेकिन इस तरह के परोपकारी कार्यों/दान को जारी रखने

से एक ट्रस्ट का निर्माण नहीं होगा, जो धारा 92 सीपीसी के संदर्भ में मुकदमे पर विचार करने के लिए अकेले निर्धारक कारक है। इसलिए उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। [1210-एच; 1211-ए]

मेनकुरु दशरथरामी रेड्डी बनाम दुद्दुकुरु सुब्बा राव, [1957] एससीआर 1122; बिहार राज्य बोर्ड धार्मिक ट्रस्ट, पटना बनाम महंत श्री बिशेश्वर दास, [1971] 1 एससीसी 574; महारानी हेमन्त कुमारी देबी और अन्य बनाम गौरी शंकर तिवारी और अन्य, [1940-41] लॉ रिपोर्ट आई.ए. खंड 68, 53; महंत राम सरूप दासजी बनाम एसपी साही, हिंदू धार्मिक ट्रस्ट और अन्य के विशेष प्रभारी अधिकारी, एआईआर [1959] एससी 951 और बाबू भगवान दीन बनाम गिर हर सरूप, 67 आई ए 1 संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5178/1997

आर.एफ.ए. संख्या 44/1984 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 19.11.1996 से।

अपीलकर्ताओं की ओर से जी.एल. सांघी, ई.सी. अग्रवाल, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, आलोक अग्रवाल और विवेक यादव।

प्रतिवादी के लिए नरेश कुमार शर्मा

न्यायालय का निर्णय एस.बी.सिन्हा, जे. द्वारा दिया गया। क्या लगभग 125 वर्षों तक किसी परिसर को "धर्मशाला' के रूप में उपयोग करने से यह अनुमान लगाया जाएगा कि यह एक सार्वजनिक ट्रस्ट का है, यह प्रश्न इस अपील में शामिल है, जो नियमित प्रथम अपील संख्या 44/1984 में शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 19.11.1996 के निर्णय से उत्पन्न हुआ है, जिससे और जिसके तहत सिविल वाद संख्या 22/1979 में पारित उक्त न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 20.3.1984 के फैसले को पलट दिया गया।

सभी अनावश्यक विवरणों को छोड़कर मामले का तथ्य इस प्रकार है:-

राज कुमार बीर सिंह, नाहन एस्टेट के मालिक थे। उन्होंने 1702 वर्ग गज एवं $18^{3/4}$ वर्ग गिरहा भूमि पर उक्त धर्मशाला का निर्माण कराया; जिसमें गौशा ए और बी के साथ खसरा नंबर 991, गौशा के साथ 992, 993, गौशा के साथ 994, 995 और 996 और 999 शामिल हैं जो सेटलमेंट सानी के मिसाल हकियात के अनुसार नाहन शहर में स्थित हैं। नवीनतम समझौते के अनुसार खरसा नंबरों के साथ नए खेवट खतौनी नंबर खेवट नंबर 78, खतौनी खाता नंबर 133 से 137 और खाता नंबर 28/50, 914, 915, 955, 956, 959, 962, 963 957, 960, 961 और

958 हैं। कथित तौर पर, उक्त धर्मशाला आम जनता को समर्पित थी, जिसके लिए मुख्य द्वार के शीर्ष पर एक पत्थर की पट्टिका लगाई गई थी। आम जनता, यात्री और विशेष रूप से वार्षिक मेले में भाग लेने वाले लोग, जिसे रेणुका मेले के नाम से जाना जाता है, बिना अनुमति के तीन दिनों तक वहां रह सकते थे, जिसके बाद संपत्ति के मालिक की अनुमति आवश्यक थी।

राज कुमार बीर सिंह की मृत्यु 1881 के आसपास हो गई, जिसके बाद उनके स्वामित्व वाली संपत्ति सुरजन सिंह को हस्तांतरित हो गई। सुरजन सिंह की मृत्यु के बाद, संपत्ति रंज़ोर सिंह को हस्तांतरित हो गई। रणज़ोर सिंह की मृत्यु 14.11.1947 को हुई और उनकी मृत्यु पर उनकी संपत्ति जगत बहादुर सिंह को विरासत में मिली।

जगत बहादुर सिंह ने कथित तौर पर अपीलकर्ताओं के पक्ष में तीन दस्तावेजों के आधार पर वाद संपत्ति बेच दी, जो वर्ष 1963 में निष्पादित बिक्री के समझौतों से पहले थे।

उक्त संपत्ति को एक ट्रस्ट संपत्ति होने का दावा करते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता द्वारा नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था

कि उपरोक्त राज बीर सिंह द्वारा इसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जनता को समर्पित किया गया था।

यह तर्क दिया गया कि उक्त संपत्ति को जनता को समर्पित करते समय, ट्रस्ट के संस्थापक के रूप में राज कुमार बीर सिंह एकमात्र ट्रस्टी बन गए और ऐसे ही बने रहे और उनकी मृत्यु के बाद धर्मशाला की देखभाल और प्रबंधन उसी क्षमता में रणज़ोर सिंह द्वारा किया गया। रणज़ोर सिंह की मृत्यु के बाद, जगत बहादुर सिंह ट्रस्टी बन गए लेकिन उन्होंने (मूल प्रतिवादी नंबर 1) ट्रस्ट की संपत्ति को अपने उपयोग के लिए दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और उक्त संपत्ति के अस्तित्व और प्रकृति को नकार दिया। यह आरोप लगाया गया कि ट्रस्ट को नाकाम करने और उक्त संपत्ति को अपने लिए हड़पने की दृष्टि से, उन्होंने उपरोक्त सम्झौता किया।

कहा गया कि उक्त मुकदमे के लिए कार्रवाई का कारण 25.4.1963 और 1.1.1970 को उत्पन्न हुआ था जब प्रतिवादी संख्या 1 ने मुकदमे में संपत्ति क्रमशः प्रतिवादी संख्या 2 और 4 को बेच दी थी और 29.3.1968 को भी जब प्रतिवादी संख्या 2 ने संपत्ति प्रतिवादी संख्या 3 को बेच दी।

प्रतिवादियों ने अपने संबंधित लिखित बयानों में वाद में लगाए गए आरोपों और प्रश्नगत संपत्ति जनता को समर्पित थी, इस बात से इनकार किया। प्रतिवादियों के अनुसार, उक्त संपत्ति की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति या चरित्र

कभी नहीं बदला गया और यह हमेशा मूल प्रतिवादी संख्या 1 और उसके पूर्ववर्तियों की निजी संपत्ति बनी रही।

प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने अपने लिखित बयानों में आगे दावा किया कि वे मूल्यवान प्रतिफल के लिए मुकदमे की संपत्ति के वास्तविक खरीदार थे; और उक्त भवन का कब्जा प्राप्त होने पर उनहने उसमें सुधार किया है और वे वहां एक पर्यटक होटल चला रहें हैं।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए दस मुद्दे विरचित किए।

उक्त मुकदमे में वादी ने अपने मामले के समर्थन में बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ की। राजस्व रिकॉर्ड सहित पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का विश्लेषण करने पर विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई सार्वजनिक ट्रस्ट नहीं बनाया गया था और धर्मशाला को राज कुमार बीर सिंह, रणजोर सिंह और जगत बहादुर द्वारा अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग किया गया था न कि उसके ट्रस्टी के रूप में।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 3 और 5 बारह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मुकदमे में संपत्ति के कब्जे में थे और उन्होंने प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व हासिल कर लिया।

वादी-प्रतिवादी संख्या 1, अर्थात् हिमाचल प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता, ने उक्त निर्णय और डिक्री के खिलाफ एक लेटर्स पेटेंट अपील को दाखिल की। आक्षेपित निर्णय के आधार पर खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को यह कहते हुए उलट दिया कि ट्रस्ट के निर्माण के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इसका एकमात्र परीक्षण यह देखना होगा कि क्या आम जनता अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन उद्देश्यों के क्रम में संस्था का लाभ प्राप्त कर रही है जिसके लिए इसे स्थापित किया गया था। खंडपीठ ने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पक्ष में मूल प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किए गए कथित हस्तांतरण अवैध थे और उन्हें इसके संबंध में कोई अधिकार, शीर्षक या हित प्राप्त नहीं हुआ था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 3 से 5 द्वारा उठाई गई प्रतिकूल कब्जे की दलील संधारणीय नहीं थी। यह निर्देशित किया गया:

> "ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर, प्रतिवादियों को संस्था और उसकी संपत्तियों में उनके किसी भी अधिकार से तुरंत वंचित करने का आदेश दिया जाता है। उन्हें संस्थान और उसकी संपत्तियों से तुरंत हटने का आदेश दिया गया है। इसके बाद संस्था और उसकी संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसके अध्यक्ष

उपायुक्त होंगे। अन्य सदस्यों में कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, (बी एंड आर), जिला विकास और पंचायत अधिकारी, पदनाम से बार के अध्यक्ष और प्रतिष्ठित दो और सार्वजनिक व्यक्ति शामिल होंगे जो समर्पण के साथ कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं। उनके नामों का चयन संबंधित उपायुक्त द्वारा किया जाएगा। इसे बिना किसी देरी के किया जाना चाहिए और ट्रस्ट को पंजीकृत कराया जाना चाहिए और संस्था के नाम पर एक अलग बैंक खाता खोला जाएगा जिसे संबंधित उपायुक्त या उनके द्वारा अधिकृत समिति के किसी अन्य नंबर द्वारा संचालित किया जाएगा।

विद्वान जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया जाता है कि वे खातों के मामले की जांच कराएं और मुकदमा दायर करने की तारीख से प्रतिवादियों ने ट्रस्ट की संपत्ति से जो भी किराया और लाभ कमाया है, उसकी जांच कराएं और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 12 के तहत प्रतिवादियों के खिलाफ डिक्री पारित करें। संस्था के प्रबंधन और नियंत्रण के संबंध में मांगे गए किसी भी अन्य सुझाव, प्रस्ताव या निर्देश का इस फैसले को ध्यान में रखते हुए विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा निस्तारण किया जाएगा।"

अपीलकर्ता उक्त निर्णय की सत्यता पर सवाल उठाते हुए हमारे समक्ष अपील कर रहे हैं।

अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जी.एल. सांघी ने तर्क दिया कि खंडपीठ ने निम्नलिखित पर विचार किए बिना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को उलटने में कानून की दृष्टि से स्पष्ट त्रुटि की है: (I) राजस्व प्रविष्टियाँ संपत्ति को जनता को समर्पित करने के मामले का समर्थन नहीं करती हैं; (2) वादी यह साबित करने के अपने दायित्व का निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं कि आम जनता के पक्ष में संपत्ति को कभी समर्पित किया गया था; (3) धर्मशाला का प्रशासन सदैव परिवार के सदस्यों के हाथ में था; (4) जनता द्वारा कभी कोई योगदान नहीं दिया गया; और (5) यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए हैं कि वाद ग्रस्त संपत्ति का उपयोग या प्रबंधन आम जनता द्वारा किया गया था।

श्री सांघी आग्रह करेंगे कि वादी पर सबूत का भारी बोझ यह दिखाने के लिए रखा जाए कि आम जनता के पक्ष में विचाराधीन संपत्ति का पूर्ण समर्पण किया गया था, जिसका निर्वहन नहीं किया गया था। विद्वान अधिवक्ता तर्क देंगे कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत एक मुकदमा केवल तभी कायम रखा जा सकता है जब यह बिना किसी संदेह के साबित हो जाए कि ट्रस्ट एक सार्वजनिक ट्रस्ट है, और कुछ नहीं। उक्त

विवाद के समर्थन में, मेनकुरु दशरथरामी रेड्डी बनाम दुद्दुकुरु सुब्बा राव, [1957] एससीआर 1122, बिहार राज्य बोर्ड धार्मिक ट्रस्ट, पटना बनाम महंत श्री बिशेश्वर दास, [1971] आई एससीसी 574 और श्री राधाकांत देब और अन्य बनाम हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त, उड़ीसा, [1981] 2 एससीसी 226 पर भरोसा किया गया है।

दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या । की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एन.के. शर्मा का तर्क था कि वादी-प्रतिवादी की ओर से जिन गवाहों का परीक्षण किया गया, वे सभी बूढ़े और सम्मानित लोग थे। उनमें से कुछ ने राजा के अधीन काम किया था। यह तर्क दिया गया कि धर्मशाला के रूप में संपत्ति का उपयोग न तो विवादित रहा है और न ही उस पर विवाद किया जा सकता है। इस तरह के उपयोग को 125 वर्षों की अवधि तक जारी रखने के बाद इसे निजी संपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता था और इस प्रकार, जनता के उपयोग के लिए इसे पूर्ण रूप से समर्पित करने का अनुमान लगाया जाना चाहिए।

श्री शर्मा आग्रह करेंगे कि प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं के आचरण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक, यानी अपीलकर्ताओं के पिता ने उनके पक्ष में इसे बेच दिया था। यह बताया गया कि अपीलकर्ताओं ने वाद संपत्ति के संबंध में अपने स्वामित्व विलेख भी साबित नहीं किए।

यह बताया गया कि वादी-प्रतिवादियों की ओर से परीक्षित गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा कि संपत्ति के रखरखाव और प्रबंधन के लिए एक अलग सेल बनाया गया था और उससे प्राप्त आय का उपयोग उसके रखरखाव के लिए किया जा रहा था। जब धर्मशाला जीर्ण-शीर्ण हो गई तो टाउन म्युनिसिपल कमेटी ने उसका रखरखाव करना शुरू कर दिया।

हमारे विचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वादी यह साबित करने में सक्षम है कि राज बीर सिंह ने प्रश्नगत धर्मशाला को एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया था।

यह किसी भी विवाद से परे है कि एक हिंदू अपनी संपत्ति को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित करने का हकदार है, जिसके लिए किसी लिखित दस्तावेज की भी आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, एक हिंदू, जो एक धर्मार्थ संस्थान स्थापित करना चाहता है, उसे अपना उद्देश्य व्यक्त करना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। ऐसा उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। एक धर्मार्थ बंदोबस्ती बनाने के उद्देश्य से, एक ट्रस्ट बनाने और उसे दाता और अन्य को ट्रस्टी के रूप में निहित करने के इरादे की स्पष्ट और स्पष्ट अभिव्यक्ति आवश्यक है। हालाँकि, धर्मार्थ बंदोबस्ती का विषय निश्चित होना चाहिए। संपत्ति का समर्पण पूर्ण या आंशिक हो सकता है। जब ऐसा समर्पण पूरा हो जाता है, तो आंशिक समर्पण के विपरीत एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया जाता है जो केवल दानी संस्था का निर्माण करेगा।

यद्यपि दान के प्रति समर्पण आवश्यक रूप से साधन या अनुदान द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, संपत्ति के पक्षों और उपयोगकर्ताओं के आचरण के ठोस और संतोषजनक सबूत मौजूद होने चाहिए, जो संपत्ति के निजी धर्मनिरपेक्ष चरित्र के विलुप्त होने और दान के प्रति इसके पूर्ण समर्पण को दर्शाते हैं। [मेनकुरु दशरथरामी रेड्डी बनाम दुदुकुरु सुब्बा राव (सुप्रा) देखें]।

बेशक, मौजूदा मामले में, कोई विलेख नहीं बनाया गया। धर्मशाला की स्थापना से एक धर्मार्थ ट्रस्ट का गठन किया जा सकता है। यह भी विवादित नहीं है कि खसरा नंबर 995 'पड़ाव' (खाली जगह) के रूप में दर्ज है। खसरा नंबर 993 'पड़ाव' से संबंधित ध्वस्त स्थल का संदर्भ देता है। खसरा नंबर 994 में 'कच्चा' शौचालय दर्ज है जबकि खसरा नंबर 992 में 'आवासीय मकान' दर्ज है।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि राजस्व रिकार्ड में संपत्ति का मालिकाना हक रणजोर सिंह के नाम पर है। उसमें आम जनता के अधिकार का जिक्र नहीं है। केवल इसलिए कि विवादित संपत्ति में 'सराय' या 'पड़ाव' शब्द था, अपने आप में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि यह एक सार्वजनिक ट्रस्ट था। राजस्व अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि कब्जा कॉलम में भी रणजोर सिंह अथवा सुरजन सिंह का नाम अंकित था। दुकानों और मकानों पर कुछ लोगों का कब्जा दिखाया गया है। निर्विवाद मौखिक साक्ष्य यह है कि किरायेदार और पट्टेदार मालिकों को किराया दे

रहे थे। ऐसा हो सकता है कि सराय के मुख्य द्वार पर एक नक्काशीदार पत्थर लगाया गया हो, जिसमें उल्लेख किया गया हो कि इसका निर्माण राज कुमार बीर सिंह ने किया था, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि राजा बीर सिंह ने जनता को संपत्ति समर्पित की थी। यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या वादी अपने ऊपर सबूत के भारी बोझ का निर्वहन करने में सक्षम है कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, हम वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर ध्यान दे सकते हैं।

पीडब्लू 1, राम गोपाल अभि, जो मामले में मुख्य गवाह था, ने स्वीकार किया कि धर्मशाला की पहली मंजिल पर एक वयस्क शिक्षा विद्यालय भी खोला गया था। उसने स्पष्ट कहा कि धर्मशाला के रख-रखाव के लिए जनता ने कभी कोई राशि खर्च नहीं की। जब उसे पता चला कि धर्मशाला के अंदर प्रांगण में पुलिस कर्मियों के घोड़े बंधे रहते थे या बांधे जाते थे तो उसने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। हालाँकि, उसने स्वीकार किया कि रणज़ोर सिंह ने धर्मशाला की देखभाल के लिए एक चौकीदार नियुक्त किया था और वह उसे अपनी जेब से वेतन देता था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वादग्रस्त धर्मशाला का उपयोग उनकी बहन की शादी के अवसर पर रणजोर सिंह की अनुमति से बारात को ठहराने के लिए किया गया था और बारात को ठहराने के लिए उसने पहली मंजिल पर दो कमरे

लिए थे और ये वीआईपी कमरे थे जिनका उपयोग कोई भी व्यक्ति रणजोर सिंह की अनुमति से ही कर सकता है।

पीडब्लू 2, देस राज ने कहा कि यात्री अपने मवेशियों और घोड़ों आदि को खुली जगह पर बांधते थे। आम जनता/आगन्तुक/यात्री वादग्रस्त धर्मशाला में रुकते थे, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उक्त धर्मशाला की देखरेख करने वाला चौकीदार कोई रजिस्टर रखता था या नहीं। रेणुका मेला हर साल कार्तिक महीने में आयोजित होता था।

पीडब्ल्यू 3, कांशी राम ने कहा कि धर्मशाला एक दो मंजिला इमारत है जिसमें ऊपरी मंजिल में लगभग दो कमरे और भूतल में तीन या चार कमरे हैं; जबकि पीडब्लू 1, श्री राम गोपाल अभि ने कहा कि धर्मशाला में लगभग 24 कमरे थे।

पीडब्लू 4, फूल चंद ने अपने साक्ष्य में कहा कि जनता बिना अनुमति के तीन दिनों तक धर्मशाला में रह सकती है लेकिन उसके बाद रणज़ोर सिंह की अनुमति आवश्यक थी। उसने स्वीकार किया कि करीब 20-22 साल पहले वादग्रस्त धर्मशाला के एक कमरे में एक आरा मिल लगायी गयी थी। उसने स्वीकार किया कि जनता ने धर्मशाला के रख-रखाव के लिए कोई योगदान नहीं दिया और न ही कोई रजिस्टर रखा गया। उसने

यह भी स्वीकार किया कि ऊपरी मंजिल के दो कमरों में केवल राजा साहब के निजी व्यक्ति ही रहते थे।

पीडब्लू 7, दलीप सिंह, जिनकी शादी नाहन में हुई थी और जिनकी बारात शकरगढ़ से नाहन आई थी, ने कहा कि धर्मशाला में पहली मंजिल पर केवल दो कमरे थे और भूतल में कई कमरे थे। हालाँकि, वह यह नहीं बता सका कि धर्मशाला के उपयोग के लिए उनके ससुराल वालों ने कोई अनुमति ली थी या नहीं।

पीडब्लू 8, जगमोहन रामोल, जो एक सेनेटरी इंस्पेक्टर थे, ने कहा:

> ".... धर्मशाला में एक चौकीदार बैठता था और धर्मशाला का निर्माण महाराजा जगत बहादुर के पूर्वजों ने किया था। वे धर्मशाला के मालिक थे। मुझे नहीं पता कि सुरजन सिंह के ट्रक खाली जगह पर खड़े होते थे या नहीं। हालाँकि, यह सच है कि अलग-अलग व्यक्तियों के ट्रक वहाँ खड़े होते थे।"

पीडब्लू 14, सूरज लाल बंसल, जो महाराजा जगत बहादुर सिंह के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक थे, ने कहा:

> "विवादित धर्मशाला में दो दुकानें थीं। दुकानदार महाराज बहादुर सिंह और कंवर रणजोर सिंह को आगे भुगतान के लिए बहादुर सिंह को किराया देते थे। दुकानदार कभी भी

चौकीदार को किराया नहीं देते थे। यात्री या जनता जो रुकते थे, को विवादित धर्मशाला में ठहरने के लिए कोई भुगतान नहीं करना होता था। जनता से भुगतान प्राप्त करने का कोई आदेश नहीं था।"

उन्होंने आगे कहा:

"कंवर रणजोर सिंह और महाराज जगत बहादुर का महल क्षेत्र में अपना एक मंदिर था। उन्होंने और उनके पूर्वजों ने नाहन शहर में मंदिरों का भी निर्माण किया था और ये मंदिर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए थे। मैंने कोई न्यास विलेख नहीं देखा है, मैंने केवल इतना कहा है महाराज जगत बहादुर और कंवर बीर सिंह ट्रस्टी थे क्योंकि वे विवादित धर्मशाला का रखरखाव करते थे। प्रतिवादी संख्या 4 और 5 को उस संपत्ति का कब्जा प्राप्त था, जहां पुरानी विवादित धर्मशाला स्थित थी। बाहर से उन्होंने कुछ दुकानें बनाई हैं जो बाहर से दिखाई देती हैं। मैं कभी अंदर नहीं गया"।

उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों दुकानों से प्राप्त किराया विवादित धर्मशाला के रखरखाव के लिए बहुत कम था और जगत बहादुर सिंह ही इसका रखरखाव कर रहे थे।

यदि धर्मशाला का निर्माण सराय अधिनियम, 1867 के प्रावधानों के तहत सराय के उद्देश्य से किया गया होता, तब भी इसका मतलब सार्वजनिक ट्रस्ट का निर्माण नहीं होगा। धर्मशाला सराय एक्ट के तहत पंजीकृत भी नहीं थी। यह दिखाने के लिए कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था कि राज्य के शासक या चौकीदार द्वारा प्रावधानों का अनुपालन किया गया था।

किसी भी पीडब्लू और विशेष रूप से पीडब्लू जो राजा की सेवा में थे, ने यह नहीं बताया कि सराय अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया गया था। पीडब्लू1, जैसा कि यहां पहले देखा गया था, ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पहली मंजिल के कमरे राजा के परिवार के सदस्यों और/या उनकी अनुमति से अन्य लोगों द्वारा उपयोग के लिए थे। धर्मशाला का एक हिस्सा, जो इस प्रकार, संपत्ति के मालिक के पूर्ण नियंत्रण में रहा और इस प्रकार, वह एक सार्वजनिक ट्रस्ट नहीं हो सकता है।

धर्मशाला जैसी संपत्ति का लंबे समय तक उपयोग करने से यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि जनता के पक्ष में कुँवर बीर सिंह द्वारा संपत्ति का

समर्पण पूर्ण और निरपेक्ष था। यदि संपत्ति जनता को समर्पित की गई होती तो यह अपेक्षित था की उसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार, राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियाँ सही मानी जाएंगी; हालाँकि यह खंडन योग्य है।

मामले के दूसरे पहलू पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। पीडब्लू 8 के साक्ष्य से प्रतीत होता है कि बीर सिंह और उनके उत्तराधिकारियों ने आम जनता के लिए कई मंदिरों का निर्माण कराया है। यदि एक ट्रस्ट बनाया गया था तो यह अपेक्षित था कि सभी ट्रस्ट संपत्तियों का प्रबंधन कुछ ट्रस्टियों द्वारा किया जाएगा, न कि शासकों द्वारा। इसके अलावा, यदि अन्य संपत्तियां भी थीं जो सार्वजनिक ट्रस्ट का विषय थीं तो उनके संबंध में कोई दावा क्यों नहीं किया गया।

पार्टियों द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए गए सबूतों से, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं: (1) कि दुकानें अन्य लोगों को किराए पर दे दी गई थीं; (2) लोग धर्मशाला में आ सकते थे और रह सकते थे लेकिन तीन दिन से अधिक समय बाद रुकने के लिए इसकी अनुमति लेनी होती थी; (3) दुकानों से प्राप्त किराए का उपयोग मालिकों द्वारा अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए किया जा रहा था; (4) धर्मशाला का प्रबंधन/रखरखाव मालिक की निजी निधि से किया जा रहा

था; (5) धर्मशाला का प्रबंधन और नियंत्रण मालिकों के पास था; (6) धर्मशाला में एक स्कूल खोला गया; (7) रणज़ोर सिंह ने धर्मशाला की देखभाल के लिए एक चौकीदार नियुक्त किया था और उसका वेतन मालिक अपनी जेब से देता था; (8) धर्मशाला का उपयोग विवाह प्रयोजन के लिए किया जा सकता है लेकिन केवल मालिकों की अनुमति से; (9) पहली मंजिल के कमरों का उपयोग केवल अधिकारियों या मालिक की अनुमति से अन्य लोगों द्वारा किया जा सकता है; (10) धर्मशाला का उपयोग आमतौर पर तीर्थयात्रियों द्वारा केवल मेले के दौरान किया जाता था; (11) धर्मशाला के रख-रखाव के लिए जनता ने कभी कोई योगदान नहीं दिया; (12) जनता को धर्मशाला के प्रबंधन के संबंध में कोई अधिकार नहीं था और इसका उपयोग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था; (13) जनता ने धर्मशाला के प्रबंधन में कभी भाग नहीं लिया; (14) संपत्ति की देखभाल और प्रबंधन के लिए कभी कोई प्रबंधक नियुक्त नहीं किया गया था; (15) धर्मशाला सराय अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं थी; (16) यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मालिकों ने शबैत या ट्रस्टी के रूप में काम किया।

सार्वजनिक उद्देश्यों और आम जनता के लाभ के लिए किसी संपत्ति को समर्पित करने में संस्थापक की ओर से स्वामित्व की पूर्ण समाप्ति और संपत्ति को धार्मिक उद्देश्य के लिए निहित करना शामिल होगा। औपचारिक

और स्पष्ट धार्मिक बंदोबस्ती के अभाव में, समर्पण का चरित्र संस्था के इतिहास और संस्थापक और उसके उत्तराधिकारियों के आचरण के आधार पर निर्धारित किया जाना पड़ सकता है। ऐसा समर्पण या तो पूर्ण या आंशिक हो सकता है। किसी समुदाय या समुदाय के एक हिस्से के पक्ष में सुखभोग का अधिकार ऐसे समर्पण का गठन नहीं करेगा जहां मालिक ने संपत्ति अपने पास रखी हो। ऐसा हो सकता है कि संपत्ति के मालिक का अधिकार उपयोगकर्ता के सार्वजनिक अधिकार द्वारा योग्य हो, लेकिन वर्तमान मामले में ऐसा अधिकार, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, पूरी तरह से अप्रतिबंधित नहीं है। इस तथ्य के अलावा कि आम जनता और/या किसी विशेष समुदाय को संपत्ति के प्रबंधन में भागीदारी का कोई अधिकार नहीं था और न ही उसके रखरखाव के लिए कोई योगदान दिया गया था, यह बहुत महत्व का विषय है। यह दोहराना संभव है कि एक समर्पण का मतलब उसके स्वामित्व और स्वामित्व के अधिकार का पूर्ण त्याग होगा।आम जनता के लाभ के लिए राज्य के शासक की ओर से किया गया परोपकारी कार्य धर्मार्थ उद्देश्य के लिए समर्पण के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी।

जब पूरा नियंत्रण मालिक के पास रहता है- चाहे वह चौकीदार की नियुक्ति हो; अपने व्यक्तिगत निधि से किराए का विनियोजन और उसका रखरखाव हो, तो समर्पण पूर्ण नहीं कहा जा सकता। कुछ गवाहों के मौखिक

बयानों के अलावा इस बात का कोई सबूत नहीं है कि राज कुमार बीर सिंह इसके पहले ट्रस्टी बने। इस संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य प्रकृति में अनुमानात्मक है। इस तरह के ट्रस्ट का संचालन राज कुमार बीर सिंह ने कैसे किया और उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों द्वारा कैसे किया गया, इसका खुलासा नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि दानदाता के परिवार ने संपत्ति पर नियंत्रण बनाए रखा और इसलिए, पूर्ण समर्पण का तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता, ऐसी उपधरणा बनाना तो दूर की बात है। इसके अलावा, जो ट्रस्ट बनाया गया है वह निजी ट्रस्ट या सार्वजनिक ट्रस्ट हो सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के प्रावधान तभी लागू होंगे जब कोई सार्वजनिक ट्रस्ट अस्तित्व में आएगा, अन्यथा नहीं।

निस्संदेह, धर्मशाला के निर्माण के लिए वसीयत एक धर्मार्थ उद्देश्य के लिए होगी। यह आवश्यक नहीं है कि संपत्ति किसी विशेष देवता को समर्पित हो, बल्कि धर्मार्थ उद्देश्य के लिए पूर्ण समर्पण आवश्यक है। ऐसा समर्पण किसी धार्मिक और सार्वजनिक उपयोगिता दोनों के लिए किया जा सकता है।

महारानी हेमन्त कुमारी देबी और अन्य बनाम गौरी शंकर तिवारी और अन्य, [(1940-41) लॉ रिपोर्ट्स, आई.ए., 68, 53 में, प्रिवी काउंसिल

ने (1936) आईएलआर 58,818 में प्रतिवेदित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए पाया कि:

> "बनारस में गंगा के तट पर स्नान घाट हिंदू कानून के सिद्धांतों पर विचार करने योग्य विषय है। यदि इस तरह के उद्देश्य के लिए समर्पित किया जाता है, तो भूमि या अन्य संपत्ति किसी धार्मिक और सार्वजनिक उपयोगिता के लिए समर्पित की जाएगी, जैसे किसी धर्मशाला या मठ के लिए, भले ही वह किसी विशेष देवता को समर्पित न हो। लेकिन इस विचार से तुरंत यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किसी विशेष मामले में हिंदू कानून के पूर्ण अर्थ में समर्पण किया गया है, जिसमें संस्थापक की ओर से स्वामित्व की पूर्ण समाप्ति और संपत्ति को धार्मिक संस्थान या वस्तु में निहित करना शामिल है। किसी दिए गए मामले की विशेष परिस्थितियों से इसके संबंध में कुछ धारणा उत्पन्न हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन, विलेख या घोषणा द्वारा प्रमाणित औपचारिक और स्पष्ट बंदोबस्ती के अभाव में, समर्पण की प्रकृति संस्था के इतिहास और संस्थापक तथा उसके उत्तराधिकारियों के आचरण के आधार पर ही निर्धारित की जा सकती है। धार्मिक या धर्मार्थ उपयोग के लिए संपत्ति

का समर्पण पूर्ण या आंशिक हो सकता है, यह बनारस के तहत उतना ही सच है जितना कि बंगाल स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के तहत। आंशिक समर्पण न केवल वहां हो सकता है जहां किसी मूर्ति या अन्य धार्मिक वस्तु के पक्ष में आरोप लगाया गया हो, बल्कि, जैसा कि श्री मेने ने अपने प्रसिद्ध कार्य में कहा था, "जहां मालिक ने संपत्ति को अपने पास रखा है, लेकिन समुदाय या समुदाय के हिस्से को कुछ निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उस पर सुखभोग प्रदान किया...."

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया:

"...चाहे प्रश्न वाद में घाट तक ही सीमित हो या पड़ोसी घाटों के बारे में सबूतों पर विचार करके विस्तृत किया गया हो, यह उनके स्वामी को लगता है कि यह मानने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है कि वादी पूर्ववर्ती, या उनमें से कोई भी, ने इस घाट की सभी संपत्ति से स्वयं को मुक्त कर लिया था और केवल अधिकार या प्रबंधन रखने की स्थिति स्वीकार कर ली थी। बंदोबस्ती के विलेख के उत्पादन या अन्यथा से कोई स्पष्ट समर्पण साबित नहीं हुआ है। कभी कोई प्रबंधक नियुक्त नहीं किया गया। ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिखाया गया है जिसमें वादी या किसी पूर्ववर्ती ने

अधीक्षक, सेबेट या मुतवल्ली के रूप में कार्य करने का कथित आरोप लगाया हो।इसके विपरीत, जब भी घाट की मरम्मत ने सार्वजनिक प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित किया है, तो उन्हें मालिकों के रूप में माना गया है। उन्होंने अपने खर्च पर घाट की मरम्मत और काफी सुधार किया है। उन्होंने इसे उचित अवसरों पर स्नानार्थियों के लिए बंद कर दिया है, और त्योहारों पर दुकानों के मालिकों पर टोल लगा दिया है। घाट पर उनका खर्च उनकी प्राप्तियों से अधिक हो गया है, और वे टोल से लाभ नहीं कमाना चाहेंगे, यह संभव है, लेकिन किसी भी तरह से यह साबित नहीं होता है कि उन्होंने मालिकों के रूप में सभी अधिकारों से नाता तोड़ लिया है। आसपास के घाटों पर घाटियों से लिए गए समझौते के सबूत यह दिखाने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि उनमें मालिकों ने स्वामित्व के अपने अधिकारों को बरकरार रखा है, भले ही घाट सार्वजनिक स्नान स्थल हों....."

जब किसी दस्तावेज़ या अनुदान के अभाव में किसी दान के प्रति समर्पण स्थापित करने की मांग की जाती है, तो कानून की आवश्यकता होती है कि ऐसा समर्पण पार्टियों और संपत्ति के उपयोगकर्ता के आचरण के ठोस और संतोषजनक साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए जो संपत्ति

के निजी धर्मनिरपेक्ष चरित्र के विलुप्त होने और दान के प्रति उसके पूर्ण समर्पण को दर्शाता है।

यह साबित किया जाना चाहिए कि दाता समर्पित संपत्ति में अपने स्वामित्व से खुद को अलग करने का इरादा रखता है। धर्मार्थ उद्देश्य का अर्थ उसे परिभाषित करने वाले क़ानून पर निर्भर हो सकता है।

महंत राम सरूप दासजी बनाम एसपी साही, हिंदू धार्मिक ट्रस्ट और अन्य के विशेष प्रभारी अधिकारी, एआईआर (आई 959) एससी 951 में इस न्यायालय ने सार्वजनिक ट्रस्ट के इतिहास का पता लगाया और उन्होंने बताया कि जहां अंग्रेजी कानून के तहत सभी ट्रस्ट सार्वजनिक ट्रस्ट होने चाहिए, वहीं हिंदू कानून के तहत निजी ट्रस्ट भी हो सकते हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 सहित क्षेत्र में लागू सभी क़ानून केवल सार्वजनिक ट्रस्ट पर लागू होते हैं।

बिहार राज्य बोर्ड धार्मिक ट्रस्ट, पटना बनाम महंत श्री बिसेश्वर दास (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने साहू भगवान दीन बनाम गिर हर सरूप, [67, आई.ए.,1] में प्रिवी काउंसिल के फैसले पर गौर करते हुए कहा:

> "इस प्रकार, जनता को मंदिर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश दिए जाने के मात्र तथ्य का मतलब यह नहीं हो सकता है कि

> न्यायालयों को जनता के प्रति समर्पण का आसानी से अनुमान लगाना चाहिए। समर्पण के साक्ष्य के रूप में ऐसे सार्वजनिक उपयोगकर्ता का मूल्य उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो इस अनुमान को बल देते हैं कि उपयोगकर्ता सही था। मौजूदा मामले में अपीलकर्ता-बोर्ड के पास किसी भी विश्वसनीय प्रकार का कोई सबूत उपलब्ध नहीं था।"

इस न्यायालय ने माना कि धर्मार्थ ट्रस्ट या तो किसी स्पष्ट उद्देश्य के लिए अनुदान द्वारा बनाया जा सकता है या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के पक्ष में दिया गया अनुदान हो सकता है, कि व्यक्ति या व्यक्तियों का वह वर्ग, अनुदान प्राप्त करने के बाद, एक धर्मार्थ ट्रस्ट बना सकता है, लेकिन यहां ऐसे अनुदान के संबंध में कोई सबूत नहीं है।

एक बार फिर श्री राधाकांत देब और अन्य बनाम हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त, उड़ीसा (सुप्रा) मामले में, प्रिवी काउंसिल और इस न्यायालय के कई निर्णयों पर विचार करने पर, यह देखा गया:

> "इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने हमेशा माना है कि केवल यह तथ्य कि जनता के सदस्य बिना किसी बाधा के पूजा के उद्देश्य से मंदिर जाते थे या

वहां स्वतंत्र रूप से प्रवेश करते थे, बंदोबस्ती की प्रकृति का स्पष्ट संकेत नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि जब भी धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पण किया जाता है और मंदिर में देवता स्थापित किए जाते हैं, तो देवता की पूजा देवता की स्थापना के साथ एक आवश्यक सहवर्ती होती है, और इसलिए, पूजा का मात्र तथ्य बंदोबस्ती की प्रकृति निर्धारित नहीं करेगा। वास्तव में अगर यह साबित हो जाता है कि जनता के सदस्यों द्वारा पूजा अधिकार के रूप में है तो यह एक ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो कुछ मामलों में निर्णायक रूप से स्थापित कर सकती है कि बंदोबस्ती सार्वजनिक प्रकृति की थी।"

इस न्यायालय ने प्रत्येक मामले के तथ्यों पर यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देशों के रूप में निम्नलिखित परीक्षण निर्धारित किए कि कोई बंदोबस्ती सार्वजनिक या निजी प्रकृति की है:

(1) जहां बंदोबस्ती की उत्पत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां यह सवाल उठता है कि क्या जनता द्वारा मंदिर का उपयोग किया जाना उनका अधिकार है;

(2) तथ्य यह है कि नियंत्रण और प्रबंधन या तो व्यक्तियों के एक बड़े समूह में या जनता के सदस्यों में निहित होता है और संस्थापक प्रबंधन पर कोई नियंत्रण नहीं रखता है। इससे संबद्ध एक ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां साक्ष्य से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर जनता के सदस्यों को जोड़कर एक योजना तैयार करने का प्रावधान है;

(3) हालाँकि, जहां बंदोबस्ती की प्रकृति और उत्पत्ति को साबित करने के लिए एक दस्तावेज़ उपलब्ध है और दस्तावेज़ के विवरण से पता चलता है कि मंदिर का नियंत्रण और प्रबंधन संस्थापक या उसके वंशजों के पास है, और व्यापक संपत्तियाँ इस उद्देश्य के लिए समर्पित हैं मंदिर के रख-रखाव का स्वामित्व स्वयं संस्थापक के पास है, यह दिखाने के लिए एक निर्णायक प्रमाण होगा कि बंदोबस्ती निजी प्रकृति की थी;

(4) जहां साक्ष्य से पता चलता है कि बंदोबस्ती के संस्थापक ने जनता के सदस्यों द्वारा मंदिर में दिये जाने वाले चढ़ावे या योगदान के लिए कोई शर्त नहीं रखी थी, यह बंदोबस्ती की निजी प्रकृति को इंगित करने के लिए एक महत्वपूर्ण परिस्थिति होगी।

उपरोक्त में से कोई भी परीक्षण को वर्तमान मामले में लागू नहीं किया गया है। यह सच है कि यहां अपीलकर्ताओं ने अपना स्वामित्व विलेख प्रस्तुत नहीं किया, जिससे प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सके,

लेकिन उसके मालिक द्वारा उनके पक्ष में सूट परिसर का स्थानांतरण स्वीकार किया गया है और वास्तव में उक्त हस्तांतरण मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण बना है। किसी भी स्थिति में, विवादित परिसर पर उनका कब्ज़ा स्वीकार किया जाता है।

हम यह भी समझने में असफल रहे हैं कि सामान्यतः जनता ने लंबे समय तक और कम से कम 1963 के बाद से मुकदमा परिसर के संबंध में अपने अधिकार, यदि कोई है, का प्रयोग क्यों नहीं किया।

ऐसा हो सकता है कि धर्मशाला का एक हिस्सा लंबे समय तक आम जनता द्वारा उपयोग किया जाता था, लेकिन इस तरह के परोपकारी कार्यों/दान को जारी रखने से ट्रस्ट का निर्माण नहीं हो सकेगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के संदर्भ में महाधिवक्ता की निशादेही पर किसी मुकदमे पर विचार करने के लिए अकेले निर्धारक कारक है।

उपरोक्त कारणों से, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। हालाँकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

एन.जे. अपील को अनुमति प्रदान की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।